

**कार्यालय,**

**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या: प्राशिया/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ, दिनांक: 09/08/2021

**:कार्यालय शाय:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमर्सी कालनियत ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु शिक्षा मा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया जाने के समस्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 11/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार: पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सभी पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1089 BHOO DEVI MATA COLLEGE OF PHARMACY VILL-PAIGAON POST-PAIGAON, TEHSIL-CHHATA, MATHURA-281401

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	00 00

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एन0 1302 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमन0 1992, सेक्टर विनियमन0 2018 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं अदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के हिसाब व आकर्मों हेतु रु0 30150,000- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000,000- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-27500,200- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक आस्थापना में प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त लाइलाइस भी से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सलत द्वारा निर्मित किये जाने वाले शारनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किए जाने आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस को पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को संबद्ध किया जाना) विनियमन0-2800 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटों के रिक्ता रह जाने की स्थिति में उपर्युक्त प्रवेश प्रणाली के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शारनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये शिक्षा/निर्माण/अधिनिधियों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशीय प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, अदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

यदि इन मामलों में संस्थाओं की संख्या बढ़ेगी तो सी.आई.ए. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अड़साल रहती है तो इस संबंध में संस्थाओं को उचित ध्यान देना होगा और निधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, नयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई लाभ नकारा जा सकता है तथा उत्तर प्रदेश के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किए जाते हैं तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्थाओं को करना होगा।

- ✓ शिक्षाओं इन धर्मों की पंजीयन संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षा-विभागीय प्रारंभ होने के पूर्व पीएससी/आईएच से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद संस्थाओं को अडसाल करना होगा अर्थात् उक्त प्रदेश की कार्य-विधि के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश। अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ शिक्षाओं अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक त्रुटि भूमि, स्टाफ, साल-संख्या, उपकरण, प्राय किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ दौरे पर चलने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रत्येक संवाहित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त आवश्यक कर्तव्य जैसे अभिलेख, भूमि-पत्र, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोध करनी जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था ने भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा (पेन्सिल/आईएच/परिषद के मा. अनुसूचित लम्बाई नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने वाले अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृष्ठ सं- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3638-4899

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिरूपि:  
 प्रधानाचार्य/निदेशक, BHOO DEVI MATA COLLEGE OF PHARMACY VILL-PAIGAON POST-PAIGAON, TEHSIL-  
 GHATA, MATHURA-281401



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



संस्था आवश्यक होता। नीचे विवरण संविधि द्वारा यदि तब 2020-21 हेतु नीचे का पुनर्विचार किया गया है, तो नीचे की नवीकरण की जाएगी।

- ✓ संस्था को (वैयक्तिक शिक्षा समितियों तथा उन समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-अध्यापकों की सेवा का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश किया जाएगा। सेवाओं के लिए वह करने की शक्ति में प्रवेश प्रवेश सामान्य से निर्दिष्टानुसार की प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को मुख्य-समय पर निर्णित आवश्यकताओं को अनुपालन विधिगत एवं सम्बद्धता सुलभ बना बनने होगा।
- ✓ संस्था को (वैयक्तिक शिक्षा समितियों) से अगली बात हेतु अनुपालन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश संस्था द्वारा करने पर विधि / विषय / अभियंता / सामाजिक / विषयों एवं निर्देश, प्रशिक्षण शिक्षा प्रमुख, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च शिक्षा प्रशिक्षण शिक्षा प्रमुख, उच्च शिक्षा प्रमुख पर विचार, परिचालन, सेवाओं, विषयों का पालन करने को लिये प्राप्त होगी।
- ✓ शिक्षालय एवं कार्यवाही आवश्यकताओं के आधार पर निर्देशों, एवं विद्यार्थी से अनुपालन प्राप्त करने में आवश्यकता पड़ी है जो एक समय में अन्तर्गत आवश्यकताओं के साथ ही विधिक रूप से किया की कार्यवाही को लिए संस्था द्वारा आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च शिक्षा शिक्षा निर्देशिकाएं एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग प्रवेश प्रवेश सामान्य को कोई बात पालन किया गया है तथा प्रवेश करने के लिए वे वा अनुपालन द्वारा किसी प्रकार की परिपूर्ति संबंधी आदेश निर्मित किया गया है जो संस्था परिपूर्ति संबंधित सामर्थ्य को करनी होगी।
- ✓ शिक्षालय एवं कार्यवाही अनुपालन आवश्यकताओं को अनुपालन प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च शिक्षा प्रमुख द्वारा प्रवेश करने को लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु आवश्यकताएं प्राप्त होने की पूर्व निर्देशिकाओं से अनुपालन प्राप्त करने पर निर्देश सामर्थ्य को उपलब्ध करना होगा अन्तर्गत प्रवेश की (वैयक्तिक शिक्षा) की पालन में संस्था संस्था द्वारा एवं सीधे प्रवेश अनुपालन नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ संस्था प्रवेश संस्था द्वारा प्रवेश हेतु निर्णित नवीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी आवश्यकता पर संस्था की संस्था अनुपालन प्रवेश परीक्षा की वैयक्तिक सुविधाएं, समय, माह-माह, आवश्यकता प्राप्त किया जाने माना सुलभ, आवश्यक सुलभ आदि को विचार उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को निर्देश-परिषद हेतु अनुपालन उपलब्ध करने में प्रवेश निर्णित प्रवेश के संस्था में संस्था अनुपालन उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित को ली है, संस्था में 20% रोज/सामाजिक उपलब्धता को प्रदान करने हेतु निर्देशिकाओं के साथ उपलब्ध प्रवेश पर निर्देशिका, सुविधा - न, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य आवश्यकता को अनुपालन में प्रवेश किया गया है और परिषद को 20% आवश्यकता होगी है कि संस्था उपलब्धता का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए करने नहीं है जो संस्था संस्था को सम्बद्धता सामर्थ्य प्रवेश करने की अनुपालन की जाएगी।
- ✓ संस्था द्वारा सभी का अनुपालन न किया जाने अथवा सभी का उपकरण निर्देश करने की शक्ति में निर्देशिकाएं अनुपालन/सम्बद्धता को जाहरी।

(सं. अ. 2020-21)  
तारीख

सं. अ. 2020-21 - प्रशिक्षण/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1072-21-21

तारीख दिनांक: 18-09-2020

प्रतिस्वीकार:- प्रधानाचार्य/निदेशिका, गुरु तेंद्री माता कॉलेज डॉ. कर्माश हिंडोल- प्रवेश प्रमुख, प्रमुख, संस्था, संस्था

(सं. अ. 2020-21)  
तारीख